(14)

(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3953/दो-15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-11-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 32/अपील/13-14.

---

1. अवधराज सिंह तनय जयराम सिंह
2. हरिशचन्द्र सिंह तनय जयराम सिंह

निवासी ग्राम गंगतीरा खुर्द, तहसील त्योंथर जिला रीवा म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

1. अवधेश सिंह तनय जयराम सिंह
2. हर प्रताप सिंह तनय जयराम सिंह

निवासी ग्राम गंगतीरा खुर्द, तहसील त्योंथर जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री, जितेन्द्र अवस्थी अधिवक्ता, आवेदक

श्री, अनिल सिंह, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 24-11-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील त्योंथर वृत्त गिर्द जिला रीवा के रा.प्र. क्रमांक 76/अ-27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 14-08-2012 क विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 क धारा 44 (1) के तहत अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर जिला रीवा के समक्ष पेश की गई। अनुविभागीय

अधिकारी ने दिनांक 07-10-2013 को आदेश पारित कर अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अपील/13-14 दर्ज कर दिनांक 24-11-2015 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा खाता विभाजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा बिना अनावेदकगण को विधिवत सूचना तामील नहीं कराई। इश्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं कराया गया। पुल्ली का प्रमाणिकरण भी विधि अनुसार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के अनुसार विधि अनुसार कार्यवाही नहीं करने में अवैधानिकता की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने संहिता में निहित प्रावधानों एवं व्यवहार न्यायालय के आदेशों के प्रकाश में स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं, जो उचित प्रतीत होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24-11-2015

04/02/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर